

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 9/2016

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट

रामचन्द्र (नवरतन) पुत्र घेवरराम जाति जाट
निवासी दियावडी तहसील मुण्डवा

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:11.07.2018

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 154/2015 सरकार बनाम नवरतन में निर्णय दिनांक 31.08.15 के तहत मौजा दियावडी के खसरा नं. 479 रकबा 5.00 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.01.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 21.01.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलान्त को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 07.01.16 को पटवारी हल्का ने अपीलान्त के खेत में आकर कहा कि तुम्हारे खिलाफ बेदखली का फैसला हो गया है। तुझे कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जिस पर अपीलान्त ने निवेदन किया कि मेरा तो पुराना कब्जा है व मैंने पूरे सबूत आपको दिये थे। आपने कहा कि नियमन की कार्यवाही हो जायेगी। कब्जा पुराना है। जिस पर पटवारी हल्का ने कहा कि तहसील मुण्डवा वाले माने नहीं है, तहसील में जाकर नकले ले लेना व कोई कार्यवाही करनी है तो कर देना वरना कब्जा हटेगा व फसल नीलाम होगी, जिस पर अपीलान्त को बड़ा आश्चर्य हुआ व मुण्डवा तहसील कार्यालय में जाकर पता कर नकलों का आवेदन दिनांक 08.01.16 को पेश किया। जिस पर दिनांक 18.01.16 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने से तुरंत नागौर आकर अपील पेश की। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्त की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्त ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत अपीलान्त को धोखे में रख कर पारित किया होने से निरस्तनीय है।

2}(II)-अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला है। उसे जानबूझ कर पटवारी वगैरा ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर साक्ष्य सबूत व सुनवाई से वंचित रखकर उसकी पीठ पीछे इस तरह का आदेश जैर अपील पारित करवाया है। जो विधिक प्रक्रिया अनुसार पारित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे निरस्तनीय है।

{2}(III)-जहां तक अपीलान्त का उक्त खसरे पर कब्जा व अतिक्रमण का सवाल है। उस संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त भूमि मौके पर शुरू से करीब 354 बीघा रही है। जिसमें आज दिन करीब 50 रहवासी ढाणियां बनी हुई है व अपीलान्त भी पीढियों से इसी खसरे में बनी रहवासी ढाणी में परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त एरिया देवासियों की ढाणियों के नाम से जाना जाता है व वहां पर राजकीय विद्यालय भी उक्त ढाणियों के बच्चों के पढने हेतु खुला हुआ है, पानी का जलाशय बना हुआ है। इस भूमि पर शुरू में अपीलान्त के पूर्वज नेनाराम का कब्जा रहा था व नेनाराम के फौत होने पर अपीलान्त के दादा स्व. रामसुख का कब्जा निरंतर रहा व स्व. रामसुख के फौत होने के बाद अपीलान्त के पिता घेवरराम व अपीलान्त के दीगर भाईयों का शामिल रही चला आया है। जिसकी राज. काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर अपीलान्त व उसके पूर्वजों का निरंतर कब्जा रहता चला आया है। उक्त भूमि की बिगोडी में संवत 2010 से अपीलान्त के पूर्वज सरकार में जमा करवाते आये है। जिससे

Page 1 of 2



अपर कलक्टर, नागौर

स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अपीलांट का कदीमी कब्जा है व समय समय पर सरकारी परिपत्रों द्वारा पुराने कब्जों को नियमन करने का जो सरकार का प्रयास है। उसके अनुसार अपीलांट की उक्त भूमि भी काबिल नियमन होते हुए भी इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कोई जांच नहीं कर व उक्त पुराने कब्जे के सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)—हाल खसरा नं. 479 मौजा दियावडी पर अपीलांट का पीढियों पुराना करीब 70 वर्षों से अधिक समय से निरंतर कब्जा काशत रहता चला आया है और कब्जे के संबंध में अपीलांट ने तहसील कार्यालय में समय समय पर संवत् 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 की बिगोडी रसीद भी दी गयी जिसका कोई इन्द्राज नहीं कर पुराने रिकर्ड को नजरअंदाज कर अपीलांट का नया अतिक्रमण बताते हुए अपीलांट के विरुद्ध गलत रूप से बाले बाले इकतरफा में बेदखल का आदेश पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

{2}(V)—इसी रकबे में अन्य लोगो के भी खेत व ढाणियां मौजूद है एवं कई खातेदारों के इसी खसरे में से भूमियां पुराने कब्जे के आधार पर नियमन होकर खातेदारियां भी दी हुई है। इसके बावजूद भी अपीलांट का नया कब्जा मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)—मौके पर आकर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने न तो अपीलांट की फसल कुर्क की न ही नीलामी में किसी ने बोली लगाई केवल मात्र पटवारी ने मनमर्जी से बाजरी की फसल होना व उसको कुर्क की जाकर नीलामी की बोली लगाई जाकर गुदाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी सेनणी द्वारा उक्त फसल बोली लगाकर खरीदने आदि के संबंध में छपे छपाये परफोरमा पर हस्ताक्षर आदि करवा कर गलत कागजात तैयार किये है। अपीलांट कथित गुदाराम मेघवाल नाम के व्यक्ति को जानता भी नहीं है। इसका नाम होने पर अपीलांट ने सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि पटवारी ने कहा कि हस्ताक्षर कर दो तो हमने हस्ताक्षर कर दिये। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि इस भूमि पर अपीलांट की कपास की फसल बोई हुई थी, बाजरी की काशत ही नहीं थी। इसलिये कथित नीलामी आदि की संपूर्ण कार्यवाही सरासर गलत व फर्जी तरीके से तैयार की गयी है। इसलिये भी आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

{2}(VII)—अपीलांट के विरुद्ध दिनांक 31.08.15 को बेदखली के आदेश कर फसल कुर्क कर फर्द कुर्की पेश होने पर पत्रावली पेश होने की आदेशिका दर्ज है। तत्पश्चात दिनांक 18.09.15 को प्रिन्टेड परफोरमा में अपीलांट की फ़ैसल बाजरे की नीलाम करने का अंकन है। जिस पर तहसीलदार मुण्डवा की उसी दिन की स्वीकृति दर्ज है। लेकिन पुनः आदेशिका में पत्रावली को आगे दिनांक 16.11.15 को फर्द नीलामी प्रस्तुत करने का अंकन है। जिससे संपूर्ण कार्यवाही कागजी की गई है। जिसके आधार पर पारित निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

{3}— राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा दियाडी में स्थित गै. मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दियावडी के खसरा नंबर 479 रकबा 5.00 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर